47

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 348/1995 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—03—1995 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 211/1993—94/अपील

.....

भगवान सिंह पुत्र मनोहर सिंह,
निवासी —ग्राम सड़ा, तहसील मेंहगांव
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

जगत सिंह पुत्र मलखान सिंह
निवासी —ग्राम सड़ा, तहसील मेंहगांव
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—03—1995 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अनावेदक जगतासिंह द्वारा संहिता की धारा 203 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सड़ा में स्थित शासकीय नदी सर्वे क्रमांक 840.3 रकबा 7 बीघा 13 विस्वा में से रकबा 0.428 है0 नदी न होकर काबिज काश्त है और अनावेदक इस पर काबिज है । अतः उक्त सर्वे नम्बर की भूमि में से रकबा 0.418 है0 भूमि अनावेदक को दी जावे। प्रकरण में जॉच नायब तहसीलदार से कराई गई और जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी, द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया और प्रश्नाधीन भूमि 0.418 है0 अनावेदक

जगतसिंह को भूमिस्वामी हक में दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड के द्वारा प्रकरण में इश्ताहर विधिवत जारी न होना, स्थल निरीक्षण न किया जाना तथा ग्रांम पंचायत की राय न लेने के आधार पर अपील स्वीकार की और अनावेदक के हित में पारित आदेश को निरस्त किया गया तथा भूमि शासकीय चरनोंई में दर्ज करने के आदेश दिये गये। पारिणामतः अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 211/1993–94/अपील में पारित आदेश दिनांक 31–03–1995 द्वारा अपील स्वीकार की गई तथा अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रारंभिक न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश एक दूसरे के विपरीत थे तब द्वितीय अपीलीय न्यायालय होने के नाते अपर आयुक्त को समस्त आपत्तियों एवं सम्मपूर्ण साक्ष्य पर विचार कर निर्णय देना चाहिये था, ऐसा कर उन्होंने द्वितीय अपीलीय न्यायालय के कर्त्तव्यों का समुचित निर्वाहन नहीं किया है । अपर अयुक्त ने विवादित आदेश में इश्तहार का प्रकाशन त्रुटिपूर्ण होना मानते हुये थी प्रारंभिक न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पंचनामा कोई साक्ष्य नहीं है तथा न ही पंचनामा साक्ष्य द्वारा सिद्ध ही किया गया है । ऐसी स्थिति में पंचनामा के आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि हुई है । न्यायिक उदाहरण 1988 पृष्ठ 13 में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह वर्तमान प्रकरण में लागू होता है । न्यायिक उदाहरण में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत देखा जाता है न कि धारा । संहिता की धारा 203 व 204 में बताये गये आवश्यक तत्वों पर विचार नहीं किया गया । विवादित भूमि किस प्रकार की है और जिसके खाते अथवा भूमि से लगी हुई है इस पर विचार नहीं किया गया । अतः अनाधिकृत कब्जे के आधार पर और यह भी सिद्ध नहीं है भूमि किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दूओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो कि अवैध एवं अवैधानिक है । ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में इश्तहार जारी हुआ है । इश्तहार के पृष्ठ भाग पर इश्तहार के ग्राम चौपाल एवं तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने तथा कोटवार से मुनादी कराई जाने का पृष्ठाकन भी अंकित है। यद्यपि तामीली मुनिन्दा के हस्ताक्षर के नीचे जो दिनांक अंकित है उसमें ओवर राईटिंग की गई है किन्तु मात्र इसी आधार पर इश्तहार को विधिवत जारी नहीं होना, नहीं माना जा सकता है । प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया है और पंचनामा तैयार किया गय है। पंचनामें में भी राजस्व निरीक्षक के समक्ष कोई आपत्ति पेश न होने का उल्लेख है । प्रकरण में साक्ष्य भी ग्रहण की गई है और अनावेदक के स्वामित्व की भूमि वादग्रस्त भूमि के समीप स्थित होने की पुष्टि भी साक्ष्य से होती है । इसके अतिरिक्त एक पंचनामा भी बनाया गया है जिस पर नौ पंचों के हस्ताक्षर अंकित है ।

6/ संहिता की धारा 203 एवं 204 के अन्तर्गत निर्मित नियमों में पंचायत की राय लेने बावत कोई प्रावधान नहीं है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1980 पेज 61 लागू होता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा संहिता की धारा 203 के अन्तर्गत आवेदन पत्र न दिया गया हो और न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुये अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपर कलेक्टर, भिण्ड के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.94 को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ। अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.95 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर